न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी
जगदीश आर्य
(आर०ए०एस०)

मुकदमा नं० – 47 / 2018

तारीख रजू – 24.04.2018

उनवान

1.मिश्रीलाल पुत्र रामनारायण

2.रामलेश पुत्र सतीराम

3.लक्ष्मण पुत्र रामनारायण

4.मुकुन्द पुत्र घेन्दू

5.मोहनसिंह पुत्र रामकिशन

6.नरेन्द्र पुत्र रामजीलाल

7.मराडलाल पुत्र रामजीलाल

8. सुमराम पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति मीणा निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

– वादीगण

विरूद्व

1.सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली

2.तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

3.नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति– सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट – पक्ष वादीगण

उपस्थिति – पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित –पक्ष प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक– 29.08.2018

वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम के मूल निवासी है तथा पुश्तहापुश्त तौर से रिहायशी मकानियात बनाकर रिहायश कर रहे है। उक्त मकानियात नक्शा मुताबिक जो वादपत्र का ही एक भाग है मे लाल रंग कीस लाइन्ही लाईनो से महदूद कर अ, ब, स, द मार्क से प्रदर्शित कर अंकित

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

किया है। असली खसरा नं० 282 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा था जिसमें नवीन नं० 282/1 रकबा 0.13 हैक्टयर गैरमुमकिन आबादी दर्ज कर दिया जिसका अमल भी रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज हो चुका है तथा खसरा नं० 282 से नवीन खसरा नं० 405 रकबा 0.10 है0, 406/826 रकबा 0.13 है0, 404/826 रकबा 0.10 है0 सेटेलमेंट द्वारा बनाकर अंकित कर दिये है जिसमें से खसरा नं० 404/826 तथा 406/826 को आबादी के स्थान पर सेटेलमेंट विभाग द्वारा चरागाह दर्ज कर दिया है जबकि खसरा नं० 405 को गैरमुमकिन रास्ता बना रखा है। उक्त स्थान साबिक खसरा नं० 282 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता था जबकि मौके पर उक्त खसरा नं० में कोई रास्ता नहीं था। इस पर उक्त खसरा नं० 282 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से उपजिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी द्वारा कैम्प नादौती में उक्त खसरा नं० 282 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में से 15 बिस्वा भूमि को अपने आदेश क्रमांक राजस्व 85 दिनांक 25.03.1985 से गैरमुमकिन रास्ता मौजा एदलपुर तहसील टोडाभीम को गैरमुमकिन आबादी में तब्दील किया गया है तथा उपजिला कलेक्टर के आदेश पर नामान्तरण संख्या 213 दिनांक 13.03.1986 को भरा गया तथा दिनांक 14.03.1986 को तुलना कर तस्दीक किया गया जिसका अमल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी संवत 2039 से 2042 में दर्ज है तथा उक्त आदेश से पूर्व ही वादीगण उक्त स्थान पर रिहायशी मकान बनाकर निवास कर रहे है और वे काम बदस्तूर जारी है। वादीगण की रिहायशी भूखण्ड व मकानियात को भूप्रबंध विभाग द्वारा दौराने भूप्रबंध साबिक खसरा नं० 282 रकबा 15 बिस्वा से नवीन खसरा नं० 406/826 रकबा 0.13 है0 अंकित कर उसकी किस्म गैरमुमकिन आबादी के स्थान पर चारागाह अंकित कर दिया है जबकि वादीगण उक्त स्थान गैरमुमकिन आबादी पर ही निवास कर रहे है। पटवारी हल्का द्वारा वादीगण को दिनांक 30.04.2017 91 एल आर एक्ट के नोटिस तहसीलदार कार्यालय से मिलने पर पता चला कि हमारी रिहायशी भूखण्ड व मकानियात की किस्म गैरमुमकिन आबादी के स्थान पर चारागाह अंकित कर दिया है इस पर वादीगण द्वारा समस्त रेवन्यू रिकार्ड लेकर प्रतिवादी नं० 1 के कार्यालय में दिनांक 27.03.2018 को कार्यालय सामय पर गये तथा रिकार्ड दुरस्त करने को कहा तो उन्होंने न्यु इंकार कर दिया है इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है तथा निवेदन यही है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नं० 406/826 रकबा 0.13 है0 ग्राम एदलपुर तहसील टोडाभीम की किस्म गैरमुमकिन चारागाह से गैरमुमकिन आबादी दर्ज करवायी जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की रिहायशी मकानियात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करे, मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर कर सम्मन प्रतिवादी जारी किये गये। प्रतिवादी सरकार पैरोकार उपस्थित हुये तथा उनकी तरफ से जवाब पेश किया तथा जवाब मे

[illegible]
टोडाभीम (करौली)

कथन किया कि ग्राम एदलपुर की जमाबंदी साल 2039 से 2042 के खाता संख्या 1 मे खसरा नं० 262 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज है जिसमे नामान्तरकरण संख्या 213 दिनांक 13.03.1986 से खसरा नं० 262/1 रकबा 15 बिस्वा आबादी दर्ज होने का नोट अंकित है। मुताबिक मिलान शेजरकलां नया खसरा नं० 262 बेजुल 1 बीघा 1 बिस्वा से हाल नं० 405 रकबा 0.10 है०, 262 मिजान से हाल नं० 406/826 रकबा 013 है०, 404/839 रकबा 0.10 है० बनाये गये है जो भूप्रबंध खतौनी मे खसरा नं० 405 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 126 मे सिवायचक किस्म लागानी गै० मु० आबादी दर्ज है, खसरा नं० 406/826 है० 0.13 है०, 404/839 है० 0.10 है० सिवायचक लगानी किस्म चाही खाता संख्या 129 मे दर्ज है तथा वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नं० 405 आबादी म 406/826 व 404/839 चारागाह के खाते मे दर्ज है जो शतिपूर्ति से सिवायचक से चारागाह दर्ज हुआ है, उक्त भूमि भूप्रबंध से पूर्व मे भी सरकारी भूमि दर्ज थी व वर्तमान मे भी सरकारी भूमि के रूप मे दर्ज है। वादी संख्या 1 लगायत 8 के स्वामित्व के कब्जे मे कभी भी नही रही है इसलिये वादीगण को उक्त भूमि मे शुद्धि कराने का अधिकार नही होने के कारण दावा वादीगण खारिज करवाया जाना उचित होगा तथा प्रतिवादी सरकार पैरोकार ने कथन किया कि दावा वादी खारिज किया जावे।

वादी वकील व पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बालघाट ने अपनी अपनी दलीले प्रस्तुत की। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये इन्द्राज दुरस्ती करते हुये वादी का दावा डिक्रि करने का कथन किया। पैरोकार सरकार ने जवाबदावा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि साबिक रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस से नवीन जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बनाते हुये भूप्रबंध विभाग ने कोई गलती नही की है। नवीन रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस सही बनाये गये है। वादी की भूमि चारागाह है। भूप्रबंध विभाग ने चारागाह सही दर्ज की। दावा खारिज किया जावे।

बहस सुन पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। साबिक जमाबंदी व नक्शा ट्रेस के अनुसार ही जमाबंदी व नक्शा ट्रेस बनाये गये है, भूप्रबंध विभाग ने कोई त्रुटि नही की है।

अतः दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा फाईनल डिक्रि जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला मजिस्ट्रेट
उपजिला कलेक्टर (सोजत)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई फाईनल

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलेक्टर बमुकाम टोडाभीम

व इजलास जगदीश आर्य (आर0ए0एस0)

उनवान

1.मिश्रीलाल पुत्र श्योनारायण

2.कमलेश पुत्र शालिग्राम

3.लक्ष्मण पुत्र श्योनारायण

4.मुकुन्द पुत्र धोन्दू

5.मोहरसिंह पुत्र रामकिशन

6.नरेन्द्र पुत्र रामजीलाल

7.मस्तलाल पुत्र रामजीलाल

8. धुमन्त पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

– वादीगण

विरूद्ध

1.सरकार जरिये जिला कलेक्टर करौली

2.तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

3.नायब तहसीलदार बालघाट जिला करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 – 47 / 2018

तारीख रजू – 24.04.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल रूबरू श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट पक्ष वादीगण, पैरोकार सरकार स्वयं उपस्थित पक्ष प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

निज ...—..... मुवलिग .... बाबत् ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....— फीसदी सालाना आज की तारीख अदायगी तक —का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.06.2018 को जारी की गई।

उपजिला मजिस्ट्रेट
मुहर ओहदा टोडाभीम (करौली)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प कजम सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner